सं0–853/XXVIII (3) 2004–100/2002टी.सी.

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक : 14 दिसम्बर, 2004

विषयः रीजनल डाइग्नोस्टिक सेन्टर दून चिकित्सालय तथा बेस चिकित्सालय अल्मोडा के भवन निर्माण के पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/8/8/25368 दिनांक 11.10.2004 के संदर्भ तथा शासनादेश सं0–309/चि0–3–2003–100/2002 दिनांक 28.3.2003 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे रीजनल डाइग्नोस्टिक सेन्टर दून चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 51,00,000=00 (रू0इक्यावन लाख मात्र)तथा रीजनल डाइग्नोस्टिक सेन्टर बेस चिकित्सालय अल्मोडा के भवन निर्माण के भवन निर्माण हेतु पूरक लागत रू0 5,60,00,000=00 (रू0 पांच लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष 04–05 मे व्यय हेतु संलग्नकानुसार कुल रू015,49,000= 00 (रू0 पन्द्रह लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0सी0एण्ड0 डी0 एस0,जल निगम उत्तरांचल तथा परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षक अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षक अभियन्ता स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं गुणवत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11– आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय, तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत –01शहरी स्वास्थ्य सेवायें –110 अस्पताल तथा औषधालय 0104–ग्यारहवे वित्त आयोग द्वारा क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक केन्द्रों का स्थापना 24–वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 1000.00 वहन की जायेगी तथा 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनागत–01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 13–बड़े चिकित्सालयों मे विशिष्ट चिकित्सा सुविधा 26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत रू015,48,000–00की धनराशि वहन की जायेगी ।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–915/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 14.12.2004 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, भाजरा देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– वरिष्ठ,कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– जिलाधिकारी, देहरादून/अल्मोडा।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून/अल्मोडा।
6– परियोजना प्रबन्धक,उ0प्र0सी0एण्ड0डी0एस0,जल निगम उत्तरांचल
7– परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल
8– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
9– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0–853/XXVIII–(3)–04–100/2002टी.सी. दिनांक 14.12.2004 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं0	कार्य स्थल का नाम	निर्माण इकाई	अनुमोदित लागत	वर्ष 2002-2003 मे स्वीकृत धनराशि	पुनरीक्षित/ पूरक लागत	वर्ष 2004-05 मे स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	8
1	दून चिकित्सालय देहरादून।	सी.डी.एस. जल निगम	41.11	41.11	51.00	9.89
2	गोवर्द्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय, अल्मोडा	राजकीय निर्माण निगम	28.27	28.27	5.60	5.60
	योग		69.38	69.38	56.60	15.49

(रू0 पन्द्रह लाख उनचास हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0-853/XXVIII(3)-2004-100/2002 टी.सी. दिनांक 14.12.2004 का संलग्नक ।

(वित्तीय वर्ष 2004-05)

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण(मानक मद)	मानक मदवार अध्यादेशिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष(सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 03 चिकित्सा -शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 05- रूद्रपुर मे मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उन्नीकरण-00-24-बृहत निर्माण कार्य 35000	-	2000	33000	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01राजकीय स्वास्थ्य सेवायें 110-अस्पताल तथा औषधालय 0104-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक केन्द्रों की स्थापना 24-बृहत निर्माण कार्य 1548	1549	31452	(क)रूद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उन्नीकरण योजना में आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है। (ख)11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षेत्रीय डाईग्नोस्टिक केन्द्रों की स्थापना हेतु खरीदे गये उपकरणों को स्थापित करने के लिए भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय में धनराशि स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।
योग- 35000	-	2000	33000	1548	1549	31452	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होगा है ।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

NIC 872 (88)

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-2

संख्या (A) वित्त अनु0-2/2004

देहरादून: दिनांक: .2004

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

एल0 एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।

संख्या-853/XXVIII(3)-2004-100/2002 टी.सी. दिनांक14.12.2004 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

14120400 6.Pdf